

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/लिंक नं. 11912/2013/अलेसे-III/645

दिनांक:- 03-08-2023

कार्यालय आदेश

वैशाली गोयल, कनिष्ठ लेखाकार, निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

1.	दिनांक 29.07.2022 से 21.09.2022 तक	55 दिवस
2.	दिनांक 28.09.2022 से 23.05.2023 तक	238 दिवस

(कुल 293 दिवस)

उक्त कुल 293 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज वैशाली गोयल की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

उक्त निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/लिंक नं. 11912/2013/अलेसे-III/645

दिनांक:- 03-08-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. कार्यालयाध्यक्ष, तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर (आपके पत्रांक 46042 दिनांक 12.07.2023 के क्रम में)।
2. कोषाधिकारी जोधपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. वैशाली गोयल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय निदेशालय तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)